ईडी ने 526 करोड़ रुपए की जमा राशि पर रोक लगाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 मई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आनलाइन गेमिंग मंच गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ धनशोधन मामले में तलाशी अभियान पूरा करने के बाद 526 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि पर रोक लगा दी है और 3.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषणों के साथ 11 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं।

गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ धनशोधन मामला, प्रवर्तन निदेशालय ने 3.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषणों के साथ 11 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बंगलुरु स्थित कंपनी के खिलाफ सात मई को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कर्नाटक की राजधानी में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। छापेमारी 13 मई को समाप्त हुई।धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियान के दौरान बैंक जमा राशि, बांड और सावधि जमा जैसी कुल 526.49 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों पर रोक लगा दी गई जबकि 3.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं।

छापेमारी के बाद, ईडी ने कंपनी के तीन संस्थापकों दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजंसी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई पुलिस प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलाजीज लिमिटेड और अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह मंच विभिन्न आनलाइन रियल-मनी गेम्स जैसे 'रमीकल्चर', रमीटाइम एप का मालिक है। सरकार ने अगस्त 2025 में आनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

केन फिन होम्स लि.

112-ए, भाग-बी, पहली मंजिल, एनआईटी-5, रेलवे रोड, नेशन हट के पास, फरीदाबाद, 121001 फोन: 0129-2436596, 2436527 मोबाइल:7625079140 ईमेल: faridabad@canfinhomes.com CIN: L85110KA198PLC008699

मांग सूचना

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 54) की धारा 13(2) के अधीन

सेवा मे,

1. **श्री अशोक कुमार पुत्र जय राम (कर्जदार)**
   मकान नंबर 787/ए, सेक्टर-22, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा – 121005
2. **श्रीमती राशु रानी पत्नी अशोक कुमार चौहान (सह-कर्जदार)**
   मकान नंबर 787/ए, सेक्टर-22, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा – 121005

नं० 1 एवं 2, हमारी शाखा से **नं०-1** की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखकर गृह ऋण प्राप्त किया है **रु. 22,62,911/-** (रुपए बाईस लाख उन्सठ हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) राशि, जो कि 12.05.2026 को कैन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ देय है।

बंधक रखी आस्ति का विवरण

एमसीएफ नं 500/52 प्रॉपर्टी आईडी- 1BT32CM8 प्लॉट नंबर – 20 खसरा नंबर – 30//9/1, 9/2, मौजा नांगला गुजरान, तहसील-बड़खल, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा – 121005, जिसका क्षेत्रफल 49 वर्ग गज है।

सीमाएं:	(दौरे के अनुसार)	(बिक्री विलेख के अनुसार)
	पूर्वः अन्य की संपत्ति	पूर्वः 14 फुट का रास्ता
	पश्चिमः 14 फुट का रास्ता	पश्चिमः अन्य की संपत्ति
	उत्तरः 27 फुट की सड़क	उत्तरः प्लॉट संख्या 19
	दक्षिणः प्लॉट संख्या 19	दक्षिणः 27 फुट की सड़क

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना **आपको** प्रेषित की गई थी। परन्तु सूचना बिना सुपुर्दगी में वापस कर दिया गया। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त **कर्जदार/रों** के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चस्पा करवा दी है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूंकि आप मंजूरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक **01.05.2026** को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक **12.05.2026** से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा।

इसके अतिरिक्त कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड

दिनांकः 14-05-2026
स्थानः फरीदाबाद

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com
मेरठ शाखाः प्रथम तल, पिनेकल टॉवर, दैशाली कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ-250004, (उप्र), कवि नगर शाखाः डी-8, पहली मंजिल, बीएसएनएल ऑफिस के सामने, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी), गाजियाबाद-201002

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल), प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **'जैसी है जहां है', 'जैसी है जो है'** तथा **'जो भी है वहां है'** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (₹)	ईएमडी (आरपी का 10%) (₹)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (₹)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/MEE/1123/1183092, बी.ओ.: मेरठ, मोहम्मद वसीम, समर समर	07.05.2025 तक रु. 4113029.65	भौतिक कब्जा	मकान का निर्माण, प्लॉट नंबर ए 1, हरि बिहार कॉलोनी, मवाना कलां, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250401, भारत।	रु. 2875000	रु. 287500	29.05.2026	रु. 10,000	22.05.2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	30.05.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/KAVI/1122/1052312, बी.ओ.: कवि नागर, सचिन शर्मा, सुनाक्षी सुनाक्षी	06.06.2025 तक रु. 2862338.74	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर जी 5, प्लॉट नंबर बी/13, भूतल, पीछे बाईं ओर, दक्षिण-पूर्वी यूनिट (छत के अधिकार के बिना), डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005, भारत	रु. 2229000	रु. 222900	29.05.2026	रु. 10,000	22.05.2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	30.05.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं है, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अंचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिषेध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, की निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सें) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (भुगतान सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की प्रावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट-www.bankeauctions.com सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी संदीप कुमार, मुनेन्द्र कुमार, संपर्क नंबर 1800120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा www.pnbhousing.com पर देखें।

स्थानः दिल्ली एनसीआर, दिनांकः 15.05.2026
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

रानी कपूर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कोई कदम न उठाएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर से कहा कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया सीधे प्रभावित हो। महत्त्वपूर्ण है कि रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पारिवारिक ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था। न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सभी पक्षों के हित में यही होगा कि इस पूरे विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाए, अन्यथा यह लंबी कानूनी लड़ाई बन जाएगी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 80 वर्षीय रानी कपूर द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 18 मई को होने वाली रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक को लेकर चिंता जताई थी। रानी कपूर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मूल कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है।

पीठ ने गौर किया कि रानी कपूर बैठक के एजंडे में शामिल उन चीजों को लेकर चिंतित थीं जो दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी के बैंक खातों के संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में कुछ संशोधन से संबंधित हैं। प्रिया कपूर और रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के कुछ निर्देशों के तहत बुलाई गई है।

पीठ ने कहा, 'फिलहाल हम इस मामले में और कुछ कहना नहीं चाहते। हमने पहले ही मध्यस्थ से मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। अभी के लिए हम पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया सीधे प्रभावित हो।' न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 18 मई को होने वाली बैठक में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में बदलाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाए।

पीठ ने कहा, 'हम यह देखना चाहते हैं कि मध्यस्थता प्रक्रिया में क्या प्रगति होती है। मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।' न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बीच आरबीआइ और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के निर्देशों तथा अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाए। शीर्ष अदालत ने रानी कपूर की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी, जिसमें उन्होंने मध्यस्थता प्रक्रिया लंबित रहने तक प्रिया कपूर और अन्य लोगों को आरके फैमिली ट्रस्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी होगी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 14 मई।

ईंधन बचत के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला, कैबिनेट ने तय किया कि सरकारी विभागों में वीडियो कांफ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति शृंखला पर बढ़ते दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ा है। इसका सीधा प्रभाव भारत की बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव पर दिख रहा है।

कैबिनेट ने तय किया कि सरकारी विभागों में वीडियो कांफ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी क्षेत्रों में भी घर से काम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों से सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग की अपील की गई है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वाहन काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने तो अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से भी से कम कर दी है। उत्तराखंड में सप्ताह में एक दिन 'नो वीकल डे' घोषित होगा, उस दिन घर से काम होम रहेगा। आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन वाहन न चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

'एक अधिकारी, एक वाहन' नियम के तहत जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।

परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन अपनाने को कहा गया है। सरकारी एवं निजी भवनों में एसी के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जल्द प्रभावी ईवी पालिसी लाई जाएगी।

द्रमुक गठबंधन कमजोर नहीं हुआ, जनता को अब भी उस पर भरोसा

चेन्नई, 14 मई (भाषा)।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं करने के बावजूद द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन को मिले 1.54 करोड़ वोट इस बात का प्रमाण हैं कि तमिलनाडु की जनता ने इस गठबंधन पर अपना भरोसा बनाए रखा है।

स्टालिन ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद अधिकांश सहयोगी दलों ने खुले तौर पर कहा है कि वे अपनी निष्ठा बदले बिना द्रमुक के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखेंगे। यह द्रमुक के प्रति सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सैद्धांतिक राजनीतिक दलों के रूप में एकजुट रहेंगे और जनता के कल्याण और राज्य के अधिकारों के लिए यात्रा जारी रखेंगे। तमिलनाडु की रक्षा करने की शक्ति और जुझारू भावना हमारे भीतर है। द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तमिलनाडु को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन हाल ही में हुए चुनावों में वह पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका।

३१ मार्च, २०२६ को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	३१ मार्च, २०२६ को समाप्त तिमाही	३१ मार्च, २०२५ को समाप्त तिमाही	३१ मार्च, २०२६ को समाप्त वर्ष	३१ मार्च, २०२५ को समाप्त वर्ष
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
१	परिचालनों से कुल आय	७,१९४.५२	७,२८१.३६	२८,७७१.६६	२८,०४६.१३
२	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	१,९३४.२४	१,७६९.५८	७,०८०.६२	६,८५५.८१
३	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	१,९३४.२४	१,७६९.५८	७,०८०.६२	६,८५५.८१
४	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	१,४९७.४१	१,३६७.९६	५,५९५.१५	५,४२९.०२
५	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	१,५१७.३०	१,३०१.१९	५,६१८.८२	५,३५७.२१
६	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	११०.०८	११०.०८	११०.०८	११०.०८
७	३१ मार्च तक आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	–	–	४१,२१५.४६	३६,१४६.७०
८	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	४,०३१.७२	४,०३१.७२	४,०३१.७२	४,०३१.७२
९	निवल मूल्य			३९,३६५.५९	३४,५३८.४२
१०	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	२,७७,४४४.१२	२,७०,६१८.८१	२,७७,४४४.१२	२,७०,६१८.८१
११	ऋण इक्विटी अनुपात	–	–	७.१६	७.९६
१२	आय प्रति शेयर (रु २/- प्रत्येक) (सतत तथा असतत परिचालनों हेतु) बेसिक एवं डाइल्यूटेड (समाप्त तिमाही हेतु ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं)	२७.२२	२४.८७	१०१.७२	९८.७०

टिप्पणियाँ

1. पिछली अवधियों के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें ३१ मार्च, २०२६ को समाप्त चालू तिमाही/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम ३३ और ५२ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही/वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। इसका पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉकएक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइटों **www.nseindia.com,www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.lichousing.com** पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

३१ मार्च, २०२६ को समाप्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	३१ मार्च, २०२६ को समाप्त तिमाही	३१ मार्च, २०२५ को समाप्त तिमाही	३१ मार्च, २०२६ को समाप्त वर्ष	३१ मार्च, २०२५ को समाप्त वर्ष
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
१	परिचालनों से कुल आय	७,२१२.०१	७,३०३.५१	२८,८४३.४९	२८,१००.६०
२	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	१,९३३.४७	१,७८०.०६	७,१०३.४७	६,८७८.८६
३	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	१,९३३.४७	१,७८०.०६	७,१०३.४७	६,८७८.८६
४	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	१,४९२.६३	१,३७३.६३	५,६०४.२४	५,४४२.७०
५	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	१,५१३.०७	१,३०६.५६	५,६२७.७८	५,३७०.६५
६	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	११०.०८	११०.०८	११०.०८	११०.०८
७	३१ मार्च तक आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	–	–	४१,३१८.८५	३६,२४१.७१
८	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	४,०४७.५२	४,०४७.५२	४,०४७.५२	४,०४७.५२
९	निवल मूल्य			३९,३२९.२५	३४,४९२.३०
१०	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	२,७७,३७७.४५	२,७०,५६३.१६	२,७७,३७७.४५	२,७०,५६३.१६
११	ऋण इक्विटी अनुपात			७.१८	८.००
१२	आय प्रति शेयर (रु २/- प्रत्येक) (सतत तथा असतत परिचालनों हेतु) बेसिक एवं डाइल्यूटेड (समाप्त तिमाही हेतु ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं)	२७.१३	२४.९७	१०१.८७	९८.९५

टिप्पणियाँ

1. पिछली अवधियों के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें ३१ मार्च, २०२६ को समाप्त चालू तिमाही/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम ३३ और ५२ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। इसका पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइटों **www.nseindia.com, www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.lichousing.com** पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

स्थानः मुंबई
दिनांकः १३ मई, २०२६

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से,
हस्ता./-
श्री टी. अधिकारी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः १०२२९१९७